

**COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
ANUSANDHAN BHAVAN, RAFI MARG, NEW DELHI-1**

No. 5-1(19)/2008-PPS

19th February, 2008**OFFICE MEMORANDUM**

Sub.- Reimbursement in respect of Newspapers purchased/supplied to officers at their residence - guidelines regarding.

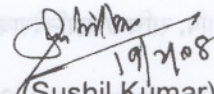
In continuation to this office circular No. 4/101/94/Gen. dated 15.10.1996, in order to curtail workforce time, DG, CSIR has been pleased to approve that in place of the existing practice of getting monthly reimbursement of newspaper on production of newspaper bills, reimbursement for newspaper may be made at the rates mentioned below along with the salary without production of bills:-

Sl. No	Level/Designation of Officers	Entitlement of maximum number of newspaper	Reimbursement to be made per month
1.	Director in Additional Secretary Scale or equivalent	Three	Rs. 350/-
2.	Director/Sci. IV(6)/JS(A), FA or equivalent	Two	Rs. 250/-
3.	Scientist Gr.IV(5) or equivalent, Sr.DS/Sr.Dy.FA/Sr.CoSP/Sci. IV(4) or equivalent, DS/Dy.FA/CoSP/Sci. Gr. IV(3) or equivalent Under Secy./F&AO/SPO/Sci. IV(2) or equivalent SO(G)/SO(F&A)/SOS&P/PS or equivalent	One	Rs. 150/-

A certificate to the effect that expenditure has been incurred on newspaper may be provided by the individuals on half yearly basis to the office.

However, in the case of Secretary/Director General, reimbursement may be made as per actuals.

The above orders will be effective wef. 1st March, 2008


(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Copy to :-

1. Director/Heads of all Labs./Instts
2. Sr.COAs/COAs/AOs of all Labs/Instts.
3. Sr.Dy. FAs /Sr.CoFA/Dy.FA/CoFA/F&AOs of all Labs/Instts.
4. Dy. Secretary, Office of DG, CSIR
5. US to JS (Admin.)
6. PA to FA, CSIR
7. PA to CVO, CSIR
8. Head, RAB, URDIP, IPMD, HRDC, RDPD & TNBD
9. Legal Adviser, CSIR
10. All Dy. Secretary/Under Secretary in CSIR Hqrs. and CSIR Complex
11. Dr R B Misra, Secretary, Staff Side, JCM, Industrial Toxicology Research Institute, Post Box No.80, MG Marg, Lucknow - 226 001
12. Head, IT Division - with the request that this circular may be made available in CSIR website.

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 1**

सं. 5-1(19)/2008-पीपीएस

दिनांक : 14.02.2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अधिकारियों के आवास पर आपूर्ति/उनके द्वारा खरीदे गए समाचार-पत्रों की प्रतिपूर्ति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत

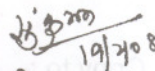
इस कार्यालय के दिनांक 15.10.1996 के परिपत्र सं. 4/101/94/जन. के अनुक्रम में महानिदेशक, सीएसआईआर ने श्रमबल समय को कम करने हेतु यह अनुमोदन प्रदान किया है कि समाचार-पत्रों के बिलों को प्रस्तुत करने पर समाचार-पत्र की मासिक प्रतिपूर्ति करने की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर, समाचार-पत्रों की प्रतिपूर्ति बिलों को प्रस्तुत किए बिना वेतन के साथ ही निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :

क्र.सं.	अधिकारियों का स्तर/पदनाम	समाचार-पत्रों की अधिकतम संख्या की पात्रता	प्रत्येक माह की जाने वाली प्रतिपूर्ति
1.	अतिरिक्त सचिव के वेतनमान में निदेशक अथवा समकक्ष	तीन	रुपये 350/-
2.	निदेशक/वैज्ञानिक IV(6)/संयुक्त सचिव (प्र.), वित्त सलाहकार अथवा समकक्ष	दो	रुपये 250/-
3.	वैज्ञानिक ग्रेड IV(5) अथवा समकक्ष वरिष्ठ उप सचिव/वरिष्ठ उपवित्त सलाहकार/वरिष्ठ भंडार एवं क्रय नियंत्रक/वैज्ञानिक ग्रेड IV(4) अथवा समकक्ष, उप सचिव/उप वित्त सलाहकार/भंडार एवं क्रय नियंत्रक/वैज्ञानिक ग्रेड IV(3) अथवा समकक्ष, अवर सचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी/भंडार एवं क्रय अधिकारी/वैज्ञानिक ग्रेड IV(2) अथवा समकक्ष, अनुभाग अधिकारी (सा.)/अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)/अनुभाग अधिकारी भंडार एवं क्रय/निजी सचिव अथवा समकक्ष	एक	रुपये 150/-

अधिकारियों द्वारा छा माही आधार पर इस कार्यालय को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उपर्युक्त राशि समाचार-पत्र पर व्यय की गई है।

तथापि, सचिव/महानिदेशक के मामले में प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के अनुसार की जाएगी।

उपर्युक्त आदेश 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होंगे।


(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

- सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
- सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
- सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा नियंत्रक/उप वित्त सलाहकार/वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी
- उप सचिव, महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
- अवर सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशासन) का कार्यालय
- वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
- मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सहायक
- प्रधान, आरएबी, यूआरडीआईपी, आईपीएमडी, एचआरडीसी, आरडीपीडी एवं टीएनबीडी
- विधि सलाहकार, सीएसआईआर
- सीएसआईआर मुख्यालय और सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव
- डॉ. आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जेसीएम औद्योगिक विषयज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईटीआरसी), पोस्ट बॉक्स नं. 80, एम.जी. मार्ग, लखनऊ - 226 001
- प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।